न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/255 /11	15.09.2011	17.05.2018

उनवान

1. उत्तमसिंह पुत्र स्व0 लालसिंह
2. जमनाबाई पत्नी स्व0 श्री लालसिंह,जातियान रायसिख निवासियान बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।
3. ग्राम पंचायत खोह पंचायत समिति रामगढ।

..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 640 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा जिसके सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 948 रकबा 7 बीघा व सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 1414/ 1532 रकबा 1.77 हैक्ट0 वाके ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। प्रश्नगत आराजीयात हम वादीगण के बुर्जुगान अभयसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। जिनके नाम का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2014 में दर्ज है। हम वादीगण के बुर्जुगान के समय से प्रश्नगत आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जो वर्तमान में आज भी काबिज है। उक्त विवादित आराजीयात को बन्दोबस्त सम्वत 2020 में चारागाह दर्ज कर दिया गया। हम वादीगण के बुर्जुगान ग्रामीण व भोले भाले शख्स होने के कारण विवादित आराजी पर अतिक्रमी बताते हुए पैनल्टी वसूली की जाती रही जो पैनल्टी की रसीद व धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस संलग्न है। विवादित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत खोह के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत खोह का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक व दुरूस्ती इन्द्राज सादिर फरमाई जाकर जावे कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 640 रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा जिसके सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 948 रकबा 7 बीघा व

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 1414 / 1532 रकबा 1.77 हैक्ट0 वाके ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर हम वादीगण के बुजुर्गान अभयसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात होने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है को कलमजन कराया जाकर हम वादीगण के समान भग खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख में हम वादीगण का नाम बतौर खातेदार दरामद किये जाने का अहकाम जारी किया जावें। और उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण हम वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करे। जबरन बेदखल करने का प्रयास न करे , मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी(पैरोकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादी का वाद न्यायालय से सम्बन्धित है। जो सुनने योग्य है। वादीगण स्वयं सिद्ध करे।

ग्राम पंचायत खोह ने इस प्रकार का जवाब किया कि ग्राम सेवक ने कोरम समक्ष निवेदन किया कि आप द्वारा दिनांक 21.03.2017 को मुझे इस मुकदमे में बतौर प्रतिनिधि वाद से सम्बन्धित पत्रावली तैयार की जिसका विवरण इस प्रकार है कि सर्वप्रथम न्यायालय में जाकर पत्रावली का निरीक्षण किया जिससे पाया कि दिनांक 24.06.2011 को ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें आबादी नही होने तथा उत्तमसिंह का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया। तथा अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। चूंकि हाल की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में खसरा नम्बर 1414 / 1532 रकबा 1.77 हैक्ट0 आबादी दर्ज है। मौके पर जाकर देखा गया कि ग्राम बांधोली से करीब 2.500 किमी. पर उक्त खसरा नम्बर स्थित है जहां पर आबादी नाम की कोई चीज नही है। चारों तरफ कृषि भूमि है। यहां पर जाने का कोई रास्ता मौजूद नही है। मौके पर लोगों से बातचीत करने पर पाया गया कि उक्त काश्त इनकी पुश्तैनी है जो कि गलती से गै0मु0 आबादी दर्ज हो गयी है। कोरम के समक्ष ग्राम सेवक ने यह स्थिति स्पष्ट की। इसके बाद कोरम ने सर्वे सम्मति से फैसला कि[illegible]क आबादी बसने की संभावना शुन्य है तथा मूल आबादी से बहुत दूर है। गरीब परिवार की पालन पोषण का जरिया है। इसके मध्य नजर कोरम ने

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

फैसला लिया कि उक्त भूमि पर उत्तमसिंह का कब्जा है तो उसे ही दी जावे। कोरम को कोई अपत्ति नही है।

वादीगण ने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2065–68 ग्राम पंचायत बांधोली, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 ग्राम बांधोली, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2027 ग्राम बांधोली, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 वाके ग्राम बांधोली, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2014 वाके ग्राम बांधोली की प्रमाणित प्रति व ग्राम पंचायत बांधोली की कार्यवाही दिनांक 24.06.2011 तथा ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति पेश की है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर ग्राम पंचायत खोह में दिनांक 17.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। मुतबिक जमाबन्दी सम्वत 2014 के आराजीयात वादीगण के बुर्जुगान अभयसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है। वादीगण के बुर्जुगान के समय से प्रश्नगत आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जो वर्तमान में आज भी काबिज है। उक्त विवादित आराजीयात को बन्दोबस्त सम्वत 2020 में चारागाह दर्ज कर दिया गया। वादीगण के बुर्जुगान ग्रामीण शख्स होने के कारण विवादित आराजी पर अतिक्रमी बताते हुए पैनल्टी वसूली की जाती रही है। विवादित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत खोह के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि ग्राम पंचायत खोह का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है। हाल की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में खसरा नम्बर 1414 / 1532 रकबा 1.77 हैक्ट0 आबादी दर्ज है। मौके पर जाकर देखा गया कि ग्राम बांधोली से करीब 2.500 किमी. पर उक्त खसरा नम्बर स्थित है जहां पर आबादी नाम की कोई चीज नही है। चारों तरफ कृषि भूमि है। यहां पर जाने का कोई रास्ता मौजूद नही है। मौके पर लोगों से बातचीत करने पर पाया गया कि उक्त काश्त इनकी पुश्तैनी है जो कि गलती से गै0मु0 आबादी दर्ज हो गयी है। कोरम के समक्ष ग्राम सेवक ने यह स्थिति स्पष्ट की। इसके बाद कोरम ने सर्वे सम्मति से फैसला लिया कि आबादी बसने की संभावना शुन्य है तथा मूल आबादी से बहुत दूर है। गरीब परिवार की पालन पोषण का जरिया है। इसके मध्य नजर कोरम ने फैसला लिया कि उक्त भूमि पर उत्तमसिंह का कब्जा है तो उसे ही दी जावे। कोरम को कोई अपत्ति नही है। ग्राम पंचायत ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

चालू काश्त की है। आबादी व चारागाह नही है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत खोह के जवाब के मुताबिक स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 1414/ 1532 रकबा 1.77 हैक्ट0 गै0 मु0 आबादी की किस्म खारिज कर वाके ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण के बुजुर्गान अभयसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात होने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को समान भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम बतौर काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करें। और उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करे। जबरन बेदखल करने का प्रयास न करे , मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे। **इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोह)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/255 /11	15.09.2011	17.05.2018

उनवान

1. उत्तमसिंह पुत्र स्व0 लालसिंह
2. जमनाबाई पत्नी स्व0 श्री लालसिंह,जातियान रायसिख निवासियान बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।
3. ग्राम पंचायत खोह पंचायत समिति रामगढ।

..... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत खोह के जवाब के मुताबिक स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 1414/ 1532 रकबा 1.77 हैक्ट0 गै0मु0 आबादी की किस्म खारिज कर वाके ग्राम बांधोली तहसील रामगढ जिला अलवर का वादीगण के बुजुर्गान अभयसिंह की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात होने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण को समान भाग का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम बतौर काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज करें। और उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा ना करे। जबरन बेदखल करने का प्रयास न करे , मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)